



उत्तरांचल विधान सभा

# उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 29 आषाढ़, शक संवत्, 1926

( दिनांक : 20 जुलाई, 2004 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न ( देखिये नत्थी “ख”)।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में” श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
5. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के धीमरी ब्लाक मार्ग वाया लालपुरी लच्छी भटभोज से रेलवे फाटक तक मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में” श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के गुलर भोज मार्ग हरिपुरा (नहर पट्टी) वाया चरनपुर, श्यामनगर पुलिया तक पुनः मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, “60-पन्तनगर, गदरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गदरपुर नगरपालिका में बाईपास निर्माण के सम्बन्ध में” श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के तहसील डुण्डा, ग्राम तल्ली नाकुली को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में" श्री दलवीर सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
10. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
12. कृषि मंत्री, उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
13. कृषि मंत्री, उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करेंगे।
14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
15. श्री शूरवीर सिंह सजवाण निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-  
"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2004 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"  
श्री गणेश गोदियाल उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।  
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "ग")

(समय : अपराह्न 5:00 बजे)।

16. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष, 2004-2005 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।
17. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :  
दिनांक : 20 जुलाई, 2004

आज्ञा से,

( महेश चन्द्र )  
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2004  
का प्रथम मंगलवार

# उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 29 आषाढ़, शक संवत्, 1926  
( दिनांक : 20 जुलाई, 2004 )

## नत्थी 'क'

काजी निजामुद्दीन  
06-07-2004

\*\*1. क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि राज्य में गन्ने की फसल में खरपतवार का भारी प्रकोप हो रहा है? यदि हाँ, तो खरपतवार को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गन्ना

# नत्थी 'ख'

## तारांकित प्रश्न

- श्री मदन कौशिक  
05-05-2004
- श्री अजय भट्ट  
22-05-2004
- श्री विशान सिंह चुफाल  
03-06-2004
- \*1. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त
- श्री अजय भट्ट  
21-05-2004
- \*2. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए क्या सरकार पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?
- पेयजल
- डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी  
22-05-2004
- \*3. क्या ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग एवं बद्रीनाथ धाम में सीवरेज की व्यवस्था हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?
- पेयजल
- श्री प्रीतम सिंह पंवार  
25-05-2004
- \*4. आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त
- श्रीमती आशा नौटियाल  
27-05-2004
- \*5. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो इस कार्य योजना का स्वरूप क्या है? क्या यह सत्य है कि प्रतिवर्ष गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार तीर्थयात्रियों व पर्यटकों की सुविधा हेतु उक्त तीर्थ स्थल को मोटर मार्ग से जोड़ेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- लोक निर्माण
- श्री प्रकाश पंत  
28-05-2004
- \*6. क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2003-04 में प्रदेश के विद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों, सचिवालय इत्यादि के उपयोगार्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कम्प्यूटर खरीदे गये थे? क्या कम्प्यूटर खरीद में अनिमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- पांचवें सोम० के तारांक 4 में स्थाना०

## अतारांकित प्रश्न

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी  
30-04-2004

1. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटिया के ग्राम-गड़सारी के तोक 'आगर' हेतु जलनिगम द्वारा निर्मित पेयजल योजना से ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री मदन कौशिक  
13-05-2004

2. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की सहमति पर पचास-पचास इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्रीमती विजय बड़थवाल  
13-05-2004

3. क्या लोक निर्माण मंत्री भिज्ञ हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाथूखाल-पोखरी, तिलधारखाल-मुखण्डी, रिंगालपाणी-ग्वील, जाखणीखाल-ब्यासघाट, धारकोट-तिमल्याणी देवीखेत-जामल निर्माणाधीन हल्का वाहन मार्ग हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन सभी हल्का वाहन मार्गों का उच्चीकरण करेगी? यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
14-05-2004

4. क्या सूचना मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में जिला सूचना अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्णकालिक सूचना अधिकारी की तैनाती कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना

श्रीमती विजय बड़थवाल  
14-05-2004

5. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल का कंडाखनीखाल-खेड़ा, हल्का वाहन मार्ग कब स्वीकृत हुआ था? इस हल्का वाहन मार्ग के निर्माण न होने के क्या कारण थे? क्या सरकार जनहित में इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती विजय बड़थवाल  
14-05-2004

6. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद पौड़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें किन-किन गांवों के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में स्वीकृत की गई? इनमें से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि एक हजार की जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्रीमती विजय बड़थवाल  
14-05-2004

7. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना में सम्मिलित अधिकतर गांवों तक पेयजल नहीं पहुँच पा रहा है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? क्या इन गांवों के लिए पेयजल हेतु कीम गधेरा पम्पिंग योजना की कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
15-05-2004

8. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस ग्रीष्म काल में जनपद उत्तरकाशी के वनी क्षेत्र में आग लगने से कुल कितनी वन सम्पदा का नुकसान हुआ? सरकार द्वारा वनाग्नि रोकने के क्या-2 सुरक्षात्मक उपाय किये गये तथा वनाग्नि रोकने में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी?

वन

श्रीमती विजय बड़थवाल  
15-05-2004

9. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी के गैंडखाल-आमसैण हल्का वाहन मार्ग की स्वीकृति किस सन् में हुई थी? इस मार्ग का निर्माण पूर्ण न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में इस मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
17-05-2004

10. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तरांचल गठन के बाद राज्य सरकार द्वारा कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजधानी में आवास आवंटित किये गये हैं तथा शेष श्रेणीवार कितने कर्मचारी तथा अधिकारी हैं जिन्हें सरकारी आवास की व्यवस्था की जानी है? शासन द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं? क्या सरकार द्वारा राजधानी में कर्मचारियों के लिए निर्मित आवास अभी तक आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा ये आवास कब से रिक्त पड़े हैं?

राज्य सम्पत्ति

श्री तसलीम अहमद  
17-05-2004

11. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-अ 41187, दिनांक 15/12/2003, जो कि जिला हरिद्वार में जिला योजना के अन्तर्गत साबर अली मस्जिद सुल्तानपुर, इसमाइलपुर की ओर सड़क-सुदृढीकरण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के सन्दर्भ में उनको प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उसकी जाँच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती विजय बड़थवाल  
17-05-2004

12. क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के काण्डई फेड़वा जंगलात मार्ग लगभग 3 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्रीमती विजय बड़थवाल  
17-05-2004

13. क्या पेयजल मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि.ख.यमकेश्वर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम माला, कोटा पलेल गाँव ज्योग्पाणा आदि में पेयजल का भारी संकट है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गाँवों के लिए पम्पिंग पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है तथा कब तक इस योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्रीमती विजय बड़थवाल  
17-05-2004

14. क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जाखणीखाल-ब्यासघाट मार्ग का 15 कि.मी. तक निर्माण हो चुका है? यदि हाँ, तो इस मार्ग पर यातायात शुरू न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार कि.मी. 7 तक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में बदलने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती विजय बड़थवाल  
18-05-2004

15. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट-अमोला एवं किमसार-मरोड़ा हल्का वाहन मार्ग किन कारणों से अधूरे हैं? क्या सरकार इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती विजय बड़थवाल  
18-05-2004

16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जाखणीखाल विकास खण्ड के नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने की मांग काफी समय से की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाखणीखाल विकास खण्ड की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्रीमती विजय बड़थवाल  
19-05-2004

17. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मष्टखाल-नैल हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा अब तक कितने कि.मी. सड़क का निर्माण हो चुका है? सरकार द्वारा शेष भाग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती विजय बड़थवाल  
19-05-2004

18. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की कितनी सड़कें ऐसी हैं जो मरम्मत न होने के कारण बन्द पड़ी हैं? वर्ष 2002-2003 में सड़कों के वार्षिक रखरखाव तथा विशेष मरम्मत की मद में जनपदों को आवंटित धनराशि में असमानता के क्या कारण थे? क्या सरकार सभी जनपदों को सड़क मरम्मत हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
20-05-2004

19. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003-04 में जनपद उत्तरकाशी के विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के अन्तर्गत नये आवास निर्माण व स्तरोनयन हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई विकासखण्डवार नये आवास निर्माण व स्तरोनयन हेतु किन-किन परिवारों को लाभान्वित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्रीमती विजय बड़थवाल  
20-05-2004

20. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत फूलचट्टी से व्यासघाट मोटर मार्ग को बनाये जाने की सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री अजय भट्ट  
20-05-2004

21. क्या पेयजल मंत्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले के वि०ख० ताड़ीखेत के अन्तर्गत चिलियानौला में पेयजल संकट को देखते हुए गंगास से चिलियानौला तक पम्पिंग पेयजल योजना बनाने हेतु आगणन शासन को प्रेषित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री अजय भट्ट  
20-05-2004

22. क्या पेयजल मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-278, दिनांक 27.12.2002 प्राप्त हुआ, जो कि जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत कोशी-शेर पम्पिंग पेयजल योजना बनाने के संबंध में था? यदि हाँ, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त पम्पिंग पेयजल योजना का आगणन बना लिया गया है? यदि हाँ, तो योजना की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री अजय भट्ट  
20-05-2004

23. क्या पेयजल मंत्री के संज्ञान में है कि नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिले के धूराफाट पट्टी के कुछ गांवों की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए शासन द्वारा पूर्व में रीची-थापल योजना की स्वीकृति दी गयी थी? क्या इस योजना से संबंधित एक पम्प आज भी कालाखेत नामक स्थान पर बन्द है? यदि हाँ, तो इस योजना का निर्माण न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिले के गांवों के लिए उक्त योजना को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना की स्वीकृति मिल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री अजय भट्ट  
20-05-2004

24. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जिले के वि०ख० ताड़ीखेत के ग्राम गुढोली की पेयजल योजना जो कि जल संस्थान रानीखेत की देख-रेख में चल रही है, दो साल पूर्व अतिवृष्टि से ध्वस्त हो गयी थी? यदि हाँ, तो इस योजना को ठीक करने में सरकार द्वारा आज तक क्या कारगर कदम उठाये गये एवं कब तक उक्त योजना सुचारु रूप से ठीक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री अजय भट्ट  
20-05-2004

25. क्या पेयजल मंत्री को यह ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले के वि०ख० ताड़ीखेत के अन्तर्गत चमड़खान क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है एवं क्षेत्र के लोग कई बार आन्दोलन कर चुके हैं? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा गंगास से चमड़खान तक पम्पिंग पेयजल योजना बनाने हेतु आगणन शासन को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
21-05-2004

26. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के अनुसार दिवारीखोल गडथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु तारासिंह की 2 नाली 12 मुट्ठी भूमि अधिग्रहीत की गयी? क्या सरकार बतायेगी कि भूमि कब अधिग्रहीत की गयी तथा उक्त का कुल कितना मुआवज़ा आंकलन किया गया? मुआवज़े का भुगतान कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
21-05-2004

27. विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर के संदर्भ में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सुनारगांव पेयजल योजना से कम व्यास की पाइप लाइनों को उखाड़कर पाइपों का किस योजना पर उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| श्री अजय भट्ट<br>21-05-2004             | 28. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में वर्ष 2002-2003-2004 में कुल कितनी पेयजल पम्पिंग योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं? क्या सरकार इनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                                                                      | पेयजल         |
| श्री तसलीम अहमद<br>21-05-2004           | 29. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के शहरी क्षेत्रों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प लगाये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                                                                                    | पेयजल         |
| डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी<br>22-05-2004 | 30. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर की बढ़ती हुई आबादी को मध्य नज़र रखते हुए पेयजल समस्या के निदान हेतु संभावित पेयजल योजना को प्राक्कलन, शासन द्वारा पेयजल विभाग से मांगा गया है? यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                            | पेयजल         |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>22-05-2004    | 31. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2003-04 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्डवार किन-किन ग्रामों में महिला कॉम्प्लैक्सों का निर्माण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                              | ग्राम्य विकास |
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>22-05-2004 | 32. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उडामाडा पाटयू चोपड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कितने कि.मी. तक हो चुका है तथा भू-स्वामियों को मुआवज़ा दे दिया गया है? क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर जिला पंचायत द्वारा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण की अनुमति जिला पंचायत को दे दी गयी? यदि नहीं, तो सरकार उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है? | लोक निर्माण   |
| श्री अजय भट्ट<br>22-05-2004             | 33. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-मैमो/सभा0स0आ0समिति/04, दिनांक 18.02.2004 जो रानीखेत छावनी परिषद को नगर पालिका बनाने के संबंध में था, पर क्या कार्यवाही हुयी है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                                        | नगर विकास     |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>24-05-2004    | 34. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि ग्राम अठाली विकास खण्ड भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी में जल संयोजनों में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण गांव के ऊपरी हिस्से में पेयजल आपूर्ति बन्द रहती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल लाईन का व्यास बढ़ाये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                             | पेयजल         |
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>24-05-2004 | 35. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की बंगथल पेयजल योजना की स्वीकृति किस सन् में दी गयी थी? क्या योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                                       | पेयजल         |

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट  
24-05-2004

36. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा सरियाना में मुलेठा तोक पेयजल योजना बनकर तैयार हो गयी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना का हस्तांतरण ग्राम सभा को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री बिशन सिंह चुफाल  
24-05-2004

37. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल तड़ीगांव मोटर मार्ग है, का निर्माण पूर्ण हो गया है? क्या यह सत्य है कि राम गंगा नदी में तड़ीगांव के पास मोटर पुल न बनने के कारण मुख्य मोटर मार्ग नहीं जुड़ पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर पुल का निर्माण यथाशीघ्र करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री बिशन सिंह चुफाल  
24-05-2004

38. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बारातोली बोरगांव पेयजल योजना जिसका कि निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था का लाभ गांव की जनता को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री बिशन सिंह चुफाल  
24-05-2004

39. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1965 में उडियारी पेयजल योजना का निर्माण कराया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना से उडियारी के पूरे गांव को पेयजल की सुविधा मिल रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनर्गठन योजना की स्वीकृति प्रदान करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री बिशन सिंह चुफाल  
24-05-2004

40. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग पांच से तेरह कि.मी. तक जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में दूनाकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
25-05-2004

41. क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय निकाय कर्मचारियों से 600.00 रु० मासिक कटौती पेंशन अंशदान के रूप में काटी जा रही है जबकि कर्मचारियों को मात्र 1000.00 रु० की पेंशन दस वर्ष तक दी जाती है? यदि हाँ, तो पेंशन संबंधी शासनादेश में संशोधन कर विसंगति को कब तक दूर कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>25-05-2004 | 42. क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम सभा जखमाला पाटी के मध्य का पुल निगोल नदी में आयी बाढ़ के कारण बह गया था? यदि हाँ, तो उक्त पुल के पुनःनिर्माण के लिए कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                           | द्वितीय गुरुवार के अता0<br>42 में स्थाना0 |
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>25-05-2004 | 43. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी से ब्लॉक मुख्यालय के लिए मोटर मार्ग कब स्वीकृत किया गया था? क्या वर्तमान में, उक्त मार्ग पर वाहनों का आवागमन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                              | लोक निर्माण                               |
| श्री विशन सिंह चुफाल<br>25-05-2004      | 44. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| श्री प्रेमानन्द महाजन<br>25-05-2004     | 45. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व की भांति जनपद उधमसिंह नगर के ग्रामों में रहने वाले बुक्सा व थारु जनजाति के लोगों को ईंधन के रूप में जंगल से जलौनी लकड़ी उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                          | वन                                        |
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>26-05-2004 | 46. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम सभा बुरा को जोड़ने के लिये कुल कितने कि.मी. सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई है? कितने कि.मी. सड़क बनकर तैयार हो गई है? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                | लोक निर्माण                               |
| श्रीमती आशा नौटियाल<br>26-05-2004       | 47. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला एवं राज्य योजना के अधीन स्वीकृत मोटर मार्गों (कुणझण काउर्ड, दशज्यूला, कोटखाल, जाख, सनू वैण्ड, हरेठीखाल, कमसाल, गणेशनगर, घुल्लू, तुलंगा, वष्ठी, डासिंगी) पर विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब और कार्य कब तक पूर्ण किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? | लोक निर्माण                               |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>27-05-2004    | 48. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण धरासू में डम्पिंग क्षेत्र की भूमि स्थानान्तरित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                                             | वन                                        |
| श्री प्रकाश पंत<br>27-05-2004           | 49. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय तथा निकटवर्ती गांववासी विगत मार्च, 2004 से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पेयजल समस्या से निबटने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                          | पेयजल                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| श्री प्रकाश पंत<br>27-05-2004        | 50. क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ की छेडा-कुम्याचौड, सुकोली-चमाली, कफलदुगरी-बास्ते, रई-मड-रोडीपाली, वड्डा-लेलू, सैनी-देवत-कुम्हार, जाख-रावलगांव, विषाण-कुचा, अशोक नगर-भाटिगांव, अडकीनी-जलतूरी, बडारी-काटेबोरा गांव, छेडा-छाना-भूरमुनी, चन्डाक-धारी, मोटर मार्ग निर्माणधीन हैं? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? | लोक निर्माण                              |
| श्री अजय भट्ट<br>27-05-2004          | 51. क्या पेयजल मंत्री भिज्ञ हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में पूर्व में स्वीकृत "ऐरी गधेरा रुमा-बजीना" पेयजल योजना का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? क्या सरकार इस पेयजल योजना का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                         | पेयजल                                    |
| श्री गोपाल सिंह राणा<br>28-05-2004   | 52. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा शहर में ओवर हैड टैंक का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा?                                                                                                                                                                                                                                               | पेयजल                                    |
| श्री गोपाल सिंह राणा<br>28-05-2004   | 53. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि थारु जनजाति के किसानों को वन विभाग से हकहकूक माफी में इमारती एवं जलोनी लकड़ी दी जाती थी, परन्तु अब कुछ वर्षों से हकहकूक माफी की लकड़ी देना बंद कर दिया गया है तो क्या थारु जनजाति के किसानों को हकहकूक माफी की इमारती एवं जलोनी लकड़ी पुनः दिये जाने की कोई योजना है? यदि है तो कब से यह सुविधा अनुमन्य होगी? यदि नहीं, तो क्यों?             | वन                                       |
| श्री प्रेमानन्द महाजन<br>28-05-2004  | 54. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा घोषित गदरपुर बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                            | लोक निर्माण                              |
| श्री नारायण पाल<br>28-05-2004        | 55. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने शहरों का मास्टर प्लान के तहत विस्तारीकरण किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                                                                                                       | प्रथम सोमवार के<br>अता0 111 में स्थाना0  |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार<br>27-05-2004 | 56. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर क्षेत्र से आने जाने वाले हल्के वाहनों के लिये स्यांस् व पीपलडाली में पुलों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या भारी वाहनों के आने जाने के लिये भी कोई व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                               | द्वितीय बुधवार के<br>अता0 30 में स्थाना0 |
| श्री विशन सिंह चुफाल<br>28-05-2004   | 57. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में पांखू-कोटगाड़ी तक 02 कि.मी. सड़क बनी हुई है? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के मध्य पड़ने वाले मोटर पुल का निर्माण न होने से सड़क का लाभ क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?                                             | लोक निर्माण                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| श्री विशन सिंह चुफाल<br>28-05-2004 | 58. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1975-76 में अलगड़ा पेयजल योजना का निर्माण किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                               | पेयजल                                   |
| श्री विशन सिंह चुफाल<br>28-05-2004 | 59. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम खेतार कन्याल में पनारी गाड़ में वर्ष 2003 में पैदल पुलिया बह गयी थी? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में पुलिया निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                    | प्रथम सोमवार के<br>अता0 114 में स्थाना0 |
| श्री अजय भट्ट<br>28-05-2004        | 60. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत दिगोटी-बग्वालीपोखर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? उक्त मोटर मार्ग का कार्य कई वर्षों से बाधित रहने के क्या कारण रहे?                                                                                                                     | लोक निर्माण                             |
| श्री अजय भट्ट<br>28-05-2004        | 61. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताडीखेत के अन्तर्गत, गांव जाल, चमडोली एवं वामन चमडोली में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण के लिये जन गधेरे से बनाई हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी?                                                                        | पेयजल                                   |
| श्री प्रकाश पंत<br>29-05-2004      | 62. क्या सूचना मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2003-04 तथा अप्रैल, 2004 से 31 मई, 2004 तक विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया?                                                                                                                                                                                                      | सूचना                                   |
| श्री विशन सिंह चुफाल<br>29-05-2004 | 63. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नाचनी-भस्कोट मोटर मार्ग वर्ष 2002 से यातायात हेतु बन्द है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को यातायात हेतु चालू करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                                                | लोक निर्माण                             |
| श्री अजय भट्ट<br>29-05-2004        | 64. क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताडीखेत के काकड़ीघाट-शीतलाखेत मोटर मार्ग का निर्माण किस सन् में किया गया? आज तक कुल कितने कि०मी० सड़क का निर्माण हो चुका है तथा शीतलाखेत पहुँचने के लिये कितनी कि०मी० सड़क की आवश्यकता है? क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? | लोक निर्माण                             |
| श्री अजय भट्ट<br>29-05-2004        | 65. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत रानीखेत तहसील में नैनी-जाना मोटर मार्ग का निर्माण 2 कि०मी० लम्बाई तक स्वीकृत हो चुका है? यदि हाँ, तो इस सड़क के शेष भाग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?                                                                                                                          | लोक निर्माण                             |

श्री प्रीतम सिंह पवार  
31-05-2004

66. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के ब्लाक नौगांव के ओडगांव में 'स्वजल' द्वारा 22 परिवारों का शौचालय निर्माण हेतु चयन किया गया था? क्या सभी 22 परिवारों द्वारा शौचालय बनाये गये हैं? क्या यह सत्य है कि 22 परिवारों में 05 परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु दी जा रही अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इन 05 परिवारों को देय अनुदान राशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री प्रीतम सिंह पवार  
31-05-2004

67. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से जुड़े गांव सिल्याण, जसपुर व निराकोट की पुरा योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या अति निकटस्थ उपरोक्त गांवों को पुरा योजना में शामिल कर लाभान्वित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री प्रकाश पंत  
31-05-2004

68. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत, ऐचोली-बडाबे, गुरना-गोगना, हरकान्डे-सल्ला, रई-मड़-रोडीपाली तथा छेड़ा-छाना-भुरभुनी मोटर मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य की प्रगति क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

ग्राम्य विकास

श्री प्रीतम सिंह पवार  
31-05-2004

69. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्चालीसौड़ अन्तर्गत चिन्चालीसौड़ से कोटबागी तक मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा दि० 10-02-2004 मनेरी उत्तरकाशी में की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा सड़क का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा और कब तक सड़क बनकर तैयार हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पवार  
31-05-2004

70. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम मालना निवासी फिंचरलाल की पुत्री प्रभा को आदमखोर बाघ द्वारा 15.01.04 को घायल किया गया था? क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा पीड़िता को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो पीड़िता को कब तक मुआवजा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री तसलीम अहमद  
31-05-2004

71. क्या लोक निर्माण बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालढाग के हरिद्वार नजीबाबाद मुख्य मार्ग से गैन्डीखत्ता, लालढाग-कोटद्वार सम्पर्क मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| श्री तसलीम अहमद<br>31-05-2004           | 72. क्या लोक निर्माण बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालढ़ाग में हरिद्वार-लक्सर रोड़ से भोगपुर, भिक्कमपुर, रायसी, बाला वाली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                                                             | लोक निर्माण                             |
| डा० नारायण सिंह जंतवाल<br>01-06-2004    | 73. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल शहरी पेयजल योजना को पूर्ण करने की कोई समयावधि निश्चित की गयी है? यदि हाँ, तो उक्त योजना हेतु कब तक धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी?                                                                                                   | पेयजल                                   |
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>01-06-2004 | 74. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्राम सभा सेतीकाली में निर्मित पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त गांव को कब तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी?                                                                             | पेयजल                                   |
| श्री प्रकाश पंत<br>02-06-2004           | 75. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन व अन्य सुविधायें दिये जाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                      | नगर विकास                               |
| श्री हरभजन सिंह चीमा<br>02-06-2004      | 76. क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उधमसिंहनगर के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में बाल्मीकि अम्बेड़कर आवास योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?                                                      | नगर विकास                               |
| श्री हरभजन सिंह चीमा<br>02-06-2004      | 77. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के ग्राम चौकीदारों की रू० 200 प्रतिमाह वर्तमान मानदेय को बढ़ाकर उ०प्र० राज्य के बराबर की राशि रू० 300 प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?                                                                         | प्रथम सोमवार के<br>अता० 112 में स्थाना० |
| श्री हरभजन सिंह चीमा<br>03-06-2004      | 78. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'बाल्मीकि अम्बेड़कर आवास योजना' के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवारों को जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?                                                  | नगर विकास                               |
| श्री हरबन्स कपूर<br>03-06-2004          | 79. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार से वर्ष 2002-03 में देहरादून नगर निगम के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के विकास कार्यों के लिए कोई धनराशि प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कितनी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस धन से किन-किन मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराए गए? यदि नहीं, तो क्यों? | नगर विकास                               |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| श्री तसलीम अहमद<br>03-06-2004            | 80. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा उत्तरांचल में गंभीर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो जनपद हरिद्वार के कितने और कौन-कौन से क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है तथा इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?                  | पेयजल       |
| श्री तसलीम अहमद<br>03-06-2004            | 81. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में जनवरी 2003 से अब तक जंगली जानवरों द्वारा कितने व्यक्तियों की मृत्यु तथा कितने घायल हुए हैं? क्या सभी दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                                               | वन          |
| श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत<br>04-06-2004 | 82. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| डा० नारायण सिंह जन्तवाल<br>04-06-2004    | 83. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के टिकोली बँड बघाड़ सड़क के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है? यदि नहीं तो अनुमति हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?                                                                                                                               | लोक निर्माण |
| श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट<br>05-06-2004  | 84. क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में जनपदवार विगत वर्ष कुल कितने वृक्षों का अवैध कटान हुआ है? उक्त अवधि में अवैध कटान के कितने मामले दर्ज हुए? क्या दोषी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?                                                                        | वन          |
| श्रीमती आशा नौटियाल<br>05-06-2004        | 85. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली भालू तथा सुअरों द्वारा किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है? क्या जंगली सुअरों द्वारा किये गये नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मानक निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्यों? | वन          |



उत्तरांचल विद्यान सभा

## नत्थी “ग”

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

### कं.सं. प्रस्तावक का नाम

### संशोधन का रूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी  
नेता प्रतिपक्ष  
तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-  
“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के उपाय किये जाने,
2. भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर पाबन्दी लगाने की कार्य योजना बनाये जाने,
3. ऊर्जा प्रदेश एवं पर्यटन प्रदेश के प्रारूप को तैयार किये जाने,
4. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की ठोस योजना तथा प्रत्येक विभाग में रोजगार परक योजनाएँ चलाने,
5. अफसरशाही पर अंकुश लगाने का ठोस प्रयास किये जाने,
6. जनता के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किये जाने,
7. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, विजिटिंग प्रवक्ता, शिक्षा मित्र व शिक्षा बन्धुओं के नियमितिकरण के वायदे को सरकार द्वारा पूर्ण न किये जाने,
8. विकल्पधारियों की तत्काल उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये जाने,
9. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों का शीघ्र बंटवारा किये जाने,
10. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो बीपीएल0 कार्ड से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके बीपीएल0 कार्ड बनाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

11. उत्तरांचल में फल पट्टी योजना बनाये जाने,
12. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लचीला बनाये जाने,
13. प्रदेश के दुर्गम एवं अतिदुर्गम पिछड़े क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय खोले जाने,
14. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बन्द पड़े औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किये जाने,
15. प्रदेश में बन्द पड़ी ग्रामीण सड़कों को यातायात के लिए चालू किये जाने,
16. प्रदेश में नजूल भूमि व वन भूमि जो वर्षों से कृषकों के कब्जे में है उसका नियमितिकरण किये जाने,
17. वन गुज्जरों को स्थायी रूप से एक स्थान पर बसाये जाने,
18. लो-बोल्टेज को समाप्त कराना तथा नियमिति बिजली सप्लाई, अशुद्ध बिलों को सुधारने का कार्यक्रम चलाये जाने,
19. किसानों को आलू, माल्टा, मटर, सेव, नाशपाती आदि का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने,
20. किसानों को गन्ने का उचित मूल्य समय पर दिये जाने,
21. राष्ट्रीय पार्को एवं पशु विहारों के कारण ग्रामों के विकास की बाधा को दूर किये जाने,
22. विनाशकारी भूकम्प एवं भूस्खलन से पीडित लोगों को राहत दिये जाने,
23. नयी तहसीलों एवं नयी उप तहसीलों में स्टाफ, फर्निचर भवन की सुविधा प्रदान किये जाने,
24. गढ़वाल-कुमाऊ की सुन्दर रमणीक, धार्मिक तीर्थ स्थलों, ग्लेशियरों को विकसित किये जाने,
25. "एम्स" ऋषिकेश के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने,
26. आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने,
27. पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग, अनुसूजाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की कार्य योजना बनाये जाने,
28. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोके जाने,
29. खनन नीति एवं आबकारी नीति को संशोधित कर राजस्व को बढ़ाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

30. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों की ऊन का उचित मूल्य दिलाये जाने,
31. पेट्रोल-डीजल पर लगाये गये अतिरिक्त कर हटाये जाने,
32. लोक निर्माण विभाग की टेण्डर नीति से छोटे-छोटे ठेकेदारों के शोषण को बन्द किये जाने,
33. प्राथमिक विद्यालयों एवं जू0हा0 स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती मानकों के आधार पर किये जाने,
34. वरुणावत, भूस्खलन, बाढ़, लामबगड़ त्रासदी के उपाय किये जाने,
35. विभिन्न विकास प्राधिकरणों से विकास शुल्कों की वृद्धि रोके जाने,
36. विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने,
37. शहरों के बढ़ते प्रदूषण को समाप्त किये जाने,
38. मूल निवास प्रमाण पत्र को सरलता से दिलाये जाने,
39. गम्भीर पेयजल संकट वाले गांव में पेयजल की सुविधा दिलाये जाने,
40. अग्नि से जंगलों को बचाने, पशु शिकार, अवैध पातन, अतिक्रमण रोके जाने,
41. उत्तरांचल को केन्द्र सरकार से मिलने वाले आर्थिक पैकेज को 2013 तक यथावत रखे जाने हेतु प्रयास किये जाने,
42. वर्ष 2000 के शासनादेशों द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
43. बैंकों से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, स्वरोजगार योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना के लिए ऋण आसानी से दिलाये जाने,
44. स्थानान्तरण की तर्क संगत नीति बनाये जाने,
45. तहसील दिवस को सार्थक बनाये जाने,
46. अनाधिकृत विकास स्थानों एवं मेडिकल कालेजों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने,
47. सड़क, नहर निर्माण में ली गयी कृषकों की भूमि का मुआवजा दिये जाने,
48. सूखे के प्रकोप से छुटकारा दिलाये जाने,
49. वित्तीय अनुशासन बनाये जाने,
50. भर्ती में पारदर्शिता कायम किये जाने,
51. चीनी मिलों के घाटे को कम किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

52.सहकारी समितियों के चुनाव तथा मण्डी समिति के चुनाव शीघ्र कराये जाने,

2. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चमोली में विकास खण्ड पोखरी में लोक निर्माण विभाग का अस्थाई खण्ड खोले जाने,
2. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने,
3. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में नये आई0टी0आई0 खोलने,
4. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में एक हजार की आबादी के गांव पगना, बेरासकुण्ड, मटई गांव को नये मोटर मार्गों से जोड़ने,
5. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के उडा-माडा-चोपड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति,
6. जनपद चमोली के रा0हाईस्कूल चौण्डी तथा रा0हाईस्कूल सोनला कण्डारा के उच्चीकरण करने,
7. जनपद चमोली के राजकीय इण्टर कालेज के नन्द प्रयाग के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने,
8. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने,
9. जनपद चमोली के संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति किये जाने,
10. राजकीय महाविद्यालय पोखरी के भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने,
11. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट की नव सृजित उप तहसील को तहसील का दर्जा देने,
12. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में खेल मैदान निर्माण किये जाने,
13. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट नन्दादेवी राजजात मार्ग पर पर्यटक आवास गृहों के खोले जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

14. पर्यावरण की दृष्टि से जनपद चमोली को पोलोथीन मुक्त किये जाने,
15. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के सितेल नामक स्थान पर नये झूलापुल निर्माण किये जाने।”

3. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य के अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण का प्राविधान करने,
2. गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हरियाणा राज्य के समनुरूप किये जाने,
3. पेट्रोल तथा डीजल पर अतिरिक्त कर को समाप्त करने,
4. उर्दू भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा देने,
5. मण्डी परिषद् द्वारा 1969 में लागू मण्डी शुल्क एवं मजदूरी दर को पुनर्विहित करने,
6. पर्यटक राज्य होने के कारण प्रदेश के सभी मार्गों पर पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत पथकर समाप्त किये जाने।”

4. श्री प्रकाश पन्त

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पिथौरागढ़ में नैनी-सैनी हवाई पट्टी के विस्तार तथा नियमित वायुसेवा प्रारम्भ करने,
2. जनपद पिथौरागढ़ में रई (चटकेश्वर) झील के निर्माण करने,
3. जनपद पिथौरागढ़ में रिंग रोड की स्थापना करने,
4. जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट, ऐंचोली, कुम्हार हाईस्कूलों के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
5. जनपद पिथौरागढ़ में जू0हाईस्कूल चमाली, जू0हाईस्कूल वास्ते, जू0हा0 क्वीतड़, जू0हा0 नैनी-सैनी, हिमतड़ का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. जनपद पिथौरागढ़ में खतीगांव, झूणी, हिमतड़ में चिकित्सालय खोलने,
7. जनपद पिथौरागढ़ में रई-मढ़-रोड़ीपाली मोटर मार्ग के निर्माण करने,
8. जनपद पिथौरागढ़ में छेड़ा-कुम्याचौड़-रोड़ी-झूणी मोटर मार्ग के निर्माण करने,
9. जनपद पिथौरागढ़ में अशोकनगर-भाटीगांव-क्वाखन मोटर रोड के निर्माण करने,
10. जनपद पिथौरागढ़ में बड़ाबे-पंचेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण करने,
11. जनपद पिथौरागढ़ में चुपकोट बैन्ड-जमराड़ी मोटर मार्ग का निर्माण करने,
12. जनपद पिथौरागढ़ में चन्डाक-धारी मोटर मार्ग का निर्माण करने,
13. जनपद पिथौरागढ़ में कफलंडुगरी-बास्ते मोटर मार्ग का निर्माण करने,
14. जनपद पिथौरागढ़ में दिग्तोली-नैनी-प्यूड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
15. जनपद पिथौरागढ़ में छेड़ा-आगर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ में छेड़ा-छना-भुरमुनी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना किये जाने,
18. जनपद पिथौरागढ़ में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने,
19. जनपद पिथौरागढ़ के खेल स्टेडियम को सुव्यवस्थित व समस्त खेल सुविधायें उपलब्ध करने,
20. जनपद पिथौरागढ़ में घाट पम्पिंग योजना से पूर्व में पेयजल हेतु जोड़े गये गांवों को पुनः जोड़े जाने,
21. जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट, मासो, पुरान, जाख, बालाकोट ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
22. जनपद पिथौरागढ़ में जाख-नल्लू-चमाली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
23. जनपद पिथौरागढ़ में जाख-मेलडुंगी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

24. जनपद पिथौरागढ़ में ऐंचोली-मेलडूगरी-रामेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
25. जनपद पिथौरागढ़ में मोस्टमानू, पशुपतिनाथ, असुरचुला, चन्डिकाघाट, थलकेदार, कामाक्षामन्दिर, लटोरा (बड़ाबे) को पर्यटन मानचित्र में लेकर स्थल विकास किये जाने,
26. जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने।”

5. श्री विशन सिंह चुफाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट का भवन निर्माण करने,
2. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने,
3. पिथौरागढ़ में थल में पालीटेक्निक कालेज खोलने,
4. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में वाचनालय खोलने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के सौणराथी में दैवीय आपदा से बहा पैदल गाडर पुल का निर्माण करने,
6. जनपद पिथौरागढ़ के पांखू में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
7. जनपद पिथौरागढ़ के काली विनायक पुरानाथल मोटर मार्ग का डामरीकरण,
8. डीडीहाट के आदिचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण,
9. जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी बासबगड का डामरीकरण,
10. जनपद पिथौरागढ़ के रामगंगा नदी रिगूनिया के पास झूलापुल निर्माण,
11. जनपद पिथौरागढ़ के पुरानाथल-तड़ीगांव मोटर मार्ग पर रामगंगा में मोटर पुल निर्माण,
12. जनपद पिथौरागढ़ के क्वीटी में स्वास्थ्य भवन का निर्माण,
13. जूनियर हाईस्कूल बिर्धी का उच्चीकरण करने,
14. पिथौरागढ़ के रा0क0उ0मा0 विद्यालय थल का उच्चीकरण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

15. जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटन स्थल शिराकोट, एक हतिया देपाल होकरा देवी, कोटगाड़ी मंदिर को पर्यटन के नक्शे में अंकित करने,
16. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडिहाट को जनपद बनाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ के थल-भटीगांव मोटर मार्ग के निर्माण,
18. जनपद पिथौरागढ़ के भण्डारी गांव से बोकटा तक मोटर मार्ग निर्माण।”

6. श्री अनिल नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चमोली में कर्णप्रयाग वि०ख० के कालेश्वर नामक स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना,
2. जनपद चमोली के गैरसैण में अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय की स्थापना,
3. जनपद चमोली के गौचर में स्टेडियम निर्माण करने,
4. नागचुलाखाल को जिला बनाने,
5. कर्णप्रयाग एवं गैरसैण महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने,
6. कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल चूला गबनी, विजय सैण, आगरचट्टी, हरगड के उच्चीकरण करने,
7. कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा०उ०मा०वि० सलियाणा नन्दासैण, नैली, बरतोली, लाटूगैर, चौरासैण, उम्दा एवं कन्या हा० नौटी के उच्चीकरण,
8. कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़ेथ पिण्डवाली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने,
9. झुरकण्डे-नैणी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने,
10. मटियाला-किरसाल मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने,
11. पुनगांव-विछैना मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने,
12. सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने,
13. गौचर-सेल-दुगड्डा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण करने,
14. नौटी-चौरासैण खेती मोटर मार्ग बनाये जाने,
15. देवीगाड-कण्डारीखोड मोटर मार्ग बनाये जाने,
16. दुगड्डा से बरतोली हाईस्कूल तक मोटर मार्ग के निर्माण,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

17. देवपुरी से पत्थरकट्टा-गाजियाबाद (गैरसैण) मोटर मार्ग के निर्माण,
18. पुनगांव में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
19. सिदोली में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
20. देवपुरी में ऐलोपैथिक चिकित्सालय,
21. हरगड धारपानी में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
22. कर्णप्रयाग, गौचर, भटोली, देवलकोट, ऐलोपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण करने,
23. कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत नौली-झूलापुल, सिमली झूलापुल, गडौत झूलापुल, दासिमयांगांव के पास खनसर नदी पर झूला पुल बनाये जाने,
24. बारागांव पेयजल योजना रणचौरा, सजगांव, गोगना, पाण्डवाखाल, पेयजल योजना निर्माण किये जाने,
25. दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण करने।”

7. श्रीमती आशा नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. केदारनाथ क्षेत्र के दैवीय आपदा पीड़ितों के अस्थाई पुर्नवास किये जाने,
2. श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ गुप्तकाशी में लम्बे समय से जनता द्वारा चल रही महाविद्यालय की मांग को स्वीकृति हेतु जोड़ने,
3. महाविद्यालय अगस्त्यमुनी को आदर्श विद्यालय का दर्जा दिये जाने एवं पी0जी0 स्तर साइंस विषय तथा बी0एड0 कक्षाएँ खोले जाने,
4. केदारनाथ क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों, मोटर मार्गों, पुलों सरकारी भवनों के पुर्ननिर्माण करने,
5. अगस्त्यमुनी में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं को संचालित कराये जाने हेतु प्रयास किये जाने,
6. राज्य में उच्चीकृत विद्यालयों और नई तहसीलों में कर्मचारियों की व्यवस्था करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

7. राज्य के स्थानान्तरित उप जिलाधिकारियों की जगह पर प्रतिस्थानी अधिकारियों की तैनाती तत्काल करने,
8. पहाड़ी क्षेत्रों में आलू किसानों को उचित मूल्य दिये जाने,
9. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में विद्युत आपूर्ति सुचारु किये जाने,
10. प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े जाने,
11. ऊखीमठ तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
12. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में भूकम्प से क्षतिग्रस्त ग्रामीणों को आवासीय भवनों का मुआवजा दिये जाने,
13. जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी कुण्ड के क्षतिग्रस्त पावर हाउस का पुर्ननिर्माण कर विद्युत आपूर्ति किये जाने,
14. अगस्त्यमुनी में बालिका इण्टर कालेज में विज्ञान भवन का निर्माण किये जाने,
15. तल्लानागपुर में नये विकास खण्ड का सृजन किये जाने।”

8. श्री मदन कौशिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाने की योजना,
2. प्रदेश के किसानों को गन्ने का मूल्य निर्धारण एवं भुगतान,
3. किसानों को मुफ्त बिजली एवं पानी की आपूर्ति किये जाने,
4. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
5. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में कन्या साईंस डिग्री कालेज खोलने,
6. हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने,
7. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने,
8. उत्तरांचल में वैट लागू न करने,
9. प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने,
10. उत्तरांचल में विधायकों हेतु विधायक निधि 1 करोड़ किये जाने,
11. उत्तरांचल में पर्यावरण की रक्षा हेतु कार्य योजना बनाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

12. भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु स्पष्ट नीति बनाने,
13. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने,
14. विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने,
15. उत्तरांचल निर्माण के आंदोलनकारियों को पेंशन दिये जाने,
16. प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने,
17. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने हेतु प्रयास किये जाने,
18. हरिद्वार में लगने वाले कावड मेले सहित अन्य मेलों को नोटिफिकेशन कर धन देने की व्यवस्था करने,
19. हरिद्वार के ज्वालापुर में बस स्टैंड बनाये जाने,
20. हरिद्वार को नगर निगम बनाये जाने,
21. हरिद्वार के शिवालिक नगर को नगर पंचायत बनाने,
22. हरिद्वार में सिटी बस चलाने,
23. हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित करने,
24. हरिद्वार में एल0एल0बी0 एवं बी0एड0 की कक्षाएँ खोलने,
25. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
26. राज्य में गौ रक्षा आयोग बनाने,
27. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम वेतनमान दिये जाने,
28. संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,
29. रुड़की को जिला बनाये जाने,
30. हरिद्वार के बहादुराबाद, भगवानपुर, सुल्तानपुर, को नगर पंचायत बनाने,
31. हरिद्वार को कमिशनरी बनाने,
32. हरिद्वार में पुलिस हिंसा के दौरान मारे गये व्यक्तियों, घायलों एवं लूटी गयी दुकानों के मालिकों को मुआवजा दिये जाने,
33. हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र शान्ति बिहार, लाल मन्दिर, गोलद द्वार, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने वाला क्षेत्र एवं भूपतवाला क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ने,
34. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी हेतु ज्वालापुर इण्टर कालेज एवं इन्डस्ट्री एरिया में प्रस्तावित ट्यूवैल को लगाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

35. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र के लाटेवाली में नाले के निर्माण करने तथा हरिद्वार को हवाई मार्ग से जोड़ने हेतु प्रयास किये जाने।”

9. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. बरैहनी हाईस्कूल को इण्टर कालेज की मान्यता दिए जाने,
2. बेरियादौलत हाईस्कूल को इण्टर कालेज की मान्यता दिये जाने,
3. बाजपुर में युवाओं द्वारा स्टेडियम बनाये जाने की मांग,
4. चीनी मिल के कर्मचारियों का चतुर्थ वेज बोर्ड व पंचमवेज बोर्ड लागू किये जाने,
5. बाजपुर चीनी मिल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने,
6. बाजपुर विचपुरी फार्म में इण्टर कालेज हेतु प्रस्तावित भूमि पर भू-माफियों का कब्जा हटाने,
7. बाजपुर गढरी नदी का पुल टूटने तथा यातायात बाधित होने,
8. बाजपुर क्षेत्र की टूटी मुख्य सड़कों के निर्माण किये जाने,
9. बाजपुर क्षेत्र के कोशीपुल से सेतखेडी गांव तक कोशी बद्राबका में किनारे भूमि कटाव तथा पिचिंग के संबंध में,
10. बाजपुर क्षेत्र के हरिपुरा-हरसान इण्टर कालेज की 4 एकड़ भूमि वन भूमि से हटाकर इण्टर कालेज के नाम स्थानान्तरित करने।”

10. श्री कैलाश शर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्वीकृति,
2. अल्मोड़ा में सेराघाट सरयू नदी से अल्मोड़ा नगर एवं निकटवर्ती ग्राम पंचायतों हेतु पेयजल योजना निर्माण,
3. अल्मोड़ा हवालबाग में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

4. अल्मोड़ा के लमगड़ा में ल्वेशाल से उन्यूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण,
5. अल्मोड़ा के लमगड़ा विशौद में राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल के निर्माण,
6. अल्मोड़ा के भैसियाछना विकास खण्ड में आई0टी0आई0 की स्वीकृति,
7. अल्मोड़ा के भैसियाछना में स्टेडियम निर्माण,
8. अल्मोड़ा के लमगड़ा में राजकीय पालिटेक्निक की स्वीकृति दिये जाने,
9. अल्मोड़ा के हवालबाग में जूनियर हाईस्कूल बल्वा के उच्चीकरण करने,
10. अल्मोड़ा नगर में नये बालिका एवं बालक राजकीय इण्टर कालेजों की स्वीकृति देने,
11. अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड की स्वीकृति देने,
12. अल्मोड़ा के हवालबाग में ममरछीना कसून मोटर मार्ग के निर्माण करने,
13. अल्मोड़ा के भैसियाछना में नौ गांव, कुनखेत में पैदल पुल निर्माण करने,
14. अल्मोड़ा के हवालबाग में महतबां, स्यूरा बर्शिमी मोटर मार्ग निर्माण करने,
15. अल्मोड़ा के लमगड़ा विसौद पट्टी उन्यूड़ा में डिग्री कालेज की स्वीकृति देने,
16. अल्मोड़ा के भैसियाछना में महिला डिग्री कालेज की स्वीकृति देने,
17. अल्मोड़ा लमगड़ा के उन्यूड़ा स्यूणसीमा में फडका नदी पर हाईड्रम योजना बनाने,
18. अल्मोड़ा के लमगड़ा में बूसोड़ी के तोक भेडागांव में हाईड्रम योजना बनाने।”

11. श्री माल चन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मोरी में भू-स्खलन एवं बाढ़ से पीड़ितों को राहत एवं विस्थापितों के पुर्नवास,
2. आलू, सेव, टमाटर आदि का समर्थन मूल्य निर्धारण,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

3. पुरोला में कृषि मण्डी स्थापित किये जाने,
4. पुरोला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने,
5. रोडवेज बस सेवा देहरादून शांकरी आराकोट, राजगढी तक चलाये जाने,
6. बाढ एवं भूस्खलन क्षेत्र नैटवाड बाजार अन्यत्र बसाये जाने,
7. केदार, काण्वा, सरताल, हरकीदूर, देववन का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
8. भेड पालकों को चरान चुगान की सुविधा दिये जाने,
9. सेव, टमाटर आदि के विपणन की व्यवस्था किये जाने,
10. वि०ख० मोरी एवं वडियार को मोटर मार्ग से जोडने,
11. वि०ख० पुरोला में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
12. मोरी के भूस्खलन से प्रभावित लोगों विस्थापितों को मुआवजा दिये जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के पर्वतीय क्षेत्र के जू०हाई० एवं हाई० स्कूल के उच्चीकरण किये जाने।”

12. श्रीमती विजय बड़वाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. यमकेश्वर में एक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
2. कौड़िया किमसार रोड का डामरीकरण किये जाने,
3. चैलूसैण घट्टू गाड रोड का डामरीकरण किये जाने,
4. फूल चट्टी नामक स्थान में हयूवल नदी पर झूला पुल का निर्माण करने,
5. मा० वि० महादेव चट्टी/हीराखाल, जू० हाई० स्कूल बिन्दा, क०जू०हाई० स्कूल माला, जू०हाई० चोपड़ा/तिलधार खाल का उच्चीकरण करने,
6. राजकीय पालिटेकनिक थलनदी में स्वीकृत सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने,
7. मोहन चट्टी नामक स्थान पर हयूबल नदी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
8. ऋषिकेश चीला मोटर मार्ग पर बी नदी में मोटर पुल का निर्माण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

9. स्वर्गाश्रम में वेद निकेतन के पास स्थाई मोटर पुल का निर्माण किये जाने,
10. राजाजी राष्ट्रीय पार्क में रहने वाले वन गूजर एवं अन्य गांवों को अन्यत्र विस्थापित किये जाने,
11. विकास खण्ड दुगड्डा में नालीखाल-पोखरी रोड का चौड़ीकरण, डामरीकरण किये जाने,
12. नीलकंठ मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिये जाने।”

13. श्री हरभजन सिंह चीमा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में वाई पास बनाए जाने,
2. जनपद उधमसिंह नगर के काशीपुर में हवाई पट्टी बनाए जाने,
3. जनपद उधमसिंह नगर की काशीपुर तहसील को जसपुर, रामनगर, बाजपुर व गदरपुर क्षेत्र को सम्मिलित कर जिला बनाये जाने,
4. जनपद उधमसिंह नगर की तहसील काशीपुर के अन्तर्गत नव सृजित तहसील जसपुर के 19 गांवों एवं तहसील बाजपुर के गांवों को तहसील काशीपुर में मिलाए जाने,
5. उत्तरांचल में बस रही जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किए जाने,
6. उत्तरांचल में पिछले लम्बे समय से किसानों के कब्जे काश्त की रवैन्यू रिकार्ड में वर्ग 4 में अंकित भूमि को रेगुलराईज कर किसानों को भूमि धरी का अधिकार दिए जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक काशीपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर, महतावन व महुआ जाति का पुलिस नियंत्रण थाना बाजपुर से हटाकर कोतवाली काशीपुर से किए जाने,
8. उत्तरांचल के उद्यमियों पर ऐसे आधारहीन केस जो लगभग 10 वर्षों से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए थे और जो केन्द्र सरकार द्वारा उस समय उद्यमियों को दी गई ट्रांसपोर्ट सबसीडी से सम्बन्धित है, सरकार द्वारा वापस लिए जाने,

9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्राम बांस खेडा आदि ग्रामों को डेला नदी के कटाव से पैदा हुए खतरे से बचाए जाने हेतु डेलानदी पर बांध बनाए जाने,
10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्रामों शिवलालपुर अमर, झंडा, ढकिया नं-1 व ग्राम जुडका में कन्या हाई स्कूल स्वीकृत किए जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 2 से 5 कि०मी० की दूरी वाले मतदेय स्थलों में अतिरिक्त मतदान स्थल बनाए जाने,
12. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका काशीपुर के अन्तर्गत जीर्णोद्धार हो चुके पशु चिकित्सालय के भवन के स्थान पर नया भवन बनाए जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका क्षेत्र काशीपुर में अधूरे पड़े प्रजापति समाज के सभागार को धन आवंटन किए जाने,
14. जनपद उधमसिंह नगर में वर्ष 1992-93 में (10-11 वर्ष पूर्व) पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक व्यक्तियों जिनका उससे पूर्व कोई अपराधिक रिकार्ड था और ना ही पिछले लम्बे समय से किसी भी थाने या कोतवाली में कोई अपराधिक गतिविधि दर्ज है, उनके नाम पर थानों व कोतवालों में हिस्ट्री शीट खुली है, उनके खिलाफ खुली हिस्ट्री शीट बन्द किए जाने,
15. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत स्थित राधे हरी डिग्री कालेज में दो अतिरिक्त ब्लॉक बनाए जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा शासन को भेज गए प्रस्ताव जो 319.60 लाख एवं 274.71 लाख के हैं, स्वीकृत किए जाने व धन आवंटित किए जाने।”

14. श्री काशी सिंह ऐरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थायी राजधानी बनाने,
2. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने,
3. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधाएँ देने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

4. खटीमा, मसूरी, मुजफ्फर नगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दमनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने,
5. पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इन्द्रमणी बडोनी की मूर्ति स्थापना किये जाने,
6. सम्यक रोजगार नीति बनाकर पांच वर्ष के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर करने,
7. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु विजिटिंग फेकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति किये जाने,
8. वित्तिहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों, हाईस्कूलों, जूनियर हाईस्कूलों को वित्तीय मान्यता प्रदान करने व उनके प्रांतीयकरण करने,
9. देवलथल व कनालीछीना उप तहसीलों को तहसील बनाये जाने तथा असकोट को उप तहसील बनाये जाने,
10. डीडिहाट को जिला बनाये जाने,
11. ध्वज मन्दिर कनालीछीना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रोपवे बनाये जाने,
12. कनालीछीना में महिला पालिटैक्निक खोले जाने।”

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराये जाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने,
2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर रिक्त स्थान पर प्रदेश के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को निश्चित समयावधि के भीतर नियुक्ति प्रदान करने,
3. प्रदेश के बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्पेशन सेल के गठनोपरान्त लक्ष्य निर्धारित करने,
4. प्रदेश में अपराधों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की जबाबदेही तय करने,
5. प्रदेश के नौकरशाहों को अनुशासित करने के लिए आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने,

**कं.सं. प्रस्तावक का नाम**

**संशोधन का रूप**

6. प्रदेश के सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने,
7. प्रदेश के भवन विहीन विद्यालयों व क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण को चालू वर्ष में करवाने,
8. प्रदेश के चिकित्साविहीन अस्पतालों में चिकित्सक, नियुक्त करने,
9. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूरवर्ती गांवों के लिए चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना बनाने,
10. सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मेडिकल कालेज खोलने,
11. सीमांत जनपद उत्तरकाशी में इंजीनियरिंग कालेज खोलने,
12. प्रदेश की पवित्र गंगा, यमुना सहित अन्य नदियों को प्रदूषण एवं कचरामुक्त करने,
13. सीमांत व विकास से वंचित जनपद उत्तरकाशी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
14. दिन-प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने,
15. जनपद उत्तरकाशी व टिहरी में अलग-अलग जल विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित क्षेत्रों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करने,
16. बढ़ती ईंधन व प्रदूषण की समस्या एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करने,
17. विभिन्न दुर्घटनाओं में घायलों व मृतकों के परिजनों को राज्य भर में एक समान आर्थिक मदद देने,
18. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए न्याय पंचायत स्तर पर खेल मैदान स्थापित करने,
19. पर्वतीय क्षेत्रों की गौरवमयी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर संग्रहालय बनाने,
20. प्रायः समाप्त हो रहे औषधिय गुणों से परिपूर्ण पर्वतीय खान पान (व्यंजन) को बढ़ावा देने व पर्यटन से जोड़ने,
21. मनेरी भाली, पाला, लोहारीनाग (उत्तरकाशी), टिहरी बांध सहित प्रदेश में बांध प्रभावितों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

22. वरुणावत भूस्खलन प्रभावित शहर उत्तरकाशी के प्रभावितों को शीघ्र समुचित राहत व पुनर्वास व्यवस्था सहित सुरक्षा की गारंटी एवं भूस्खलन क्षेत्र का निर्धारित समय के भीतर ट्रीटमेंट तथा पूर्व में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने,
23. टिहरी बांध प्रभावितों का समयबद्ध एवं न्यायोचित पुनर्वास करने,
24. जनपद उत्तरकाशी में गंगा व यमुना के आसपास हजारों हैक्टेयर असिंचित कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने के लिए गंगा व यमुना नदियों से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने,
25. पर्वतीय जनपदों में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सियायत देने,
26. राज्य की स्थाई राजधानी का चयन एवं निर्माण कर अस्थायी राजधानी में हो रहे बेहिसाब खर्चों पर रोक लगाने,
27. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलन के शहीदों के परिजनों को सरकारी सेवा में लेने व सम्मानित करने एवं घायलों, जेल जाने वालों को सरकारी नौकरी, स्वरोजगार देने व सम्मानित करने,
28. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के शहीदों के स्मारक राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में बनाये जाने,
29. जनपद उत्तरकाशी के लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 की सौ सीटों को बढ़ाकर 300 करने,
30. पर्वतीय जनपदों के सभी माध्यमिक एवं इण्टर कालेजों में कृषि विषय शुरू करने,
31. राज्य के गन्ना किसानों की समस्याओं के निदान करने,
32. पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि-बागवानी उपज का काश्तकारों को समुचित मूल्य देने तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विपणन केन्द्र खोलने,
33. प्रदेश के राजकीय उद्यानों को बाहरी संस्थाओं को लीज पर देने के बजाए राज्य के बेरोजगार युवकों को देने,
34. चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने,
35. उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित किए जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

36. रवाई (बड़कोट) प्रतापनगर, कोटद्वार व रुडकी को जनपद बनाए जाने,
37. दैवीय आपदा, बाढ़, भूस्खलन सम्भावित शहर, गांव, भूमि का सरकार द्वारा बीमा करने,
38. पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी के आधार पर चारा, ईंधन की पूर्ति के लिए बन भूमि ग्राम पंचायतों को देने,
39. विकास नगर जमुना पुल यमुनोत्री मार्ग सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग से अलग-अलग विभागों के अधीन होने से उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए राज्य सड़क प्राधिकरण बनाने,
40. राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ व बड़कोट के भवन निर्माण किए जाने,
41. चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने,
42. स्यूरी-नौगांव (उत्तरकाशी) को फल पट्टी विकसित करने,
43. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लाइसेन्स बनाकर पोस्ट की खेती को स्वीकृति देने,
44. जनपद उत्तरकाशी के मणी, बधाणगांव, कुमराडा, दिचली, रौतल, चमियारी, कांसी, कण्डाई, डबराला, मडल, जेष्ठवाडी, कामद, कुमारकोट, लसकोट, वाण, नौगांव गोडर, गट, ओडगांव, मातू, खरसाली जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण व मंजगांव, वर्नीगाड,, कण्डारी, कोटधार (कमरी), घटवालधार हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
45. माओवादियों की प्रदेश में बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए नेपाल से उत्तरांचल आने वाले नेपालियों का पंजीकरण व पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने,
46. प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उच्च जाति के मूल निवासियों को आरक्षण सुविधायें लागू करने,
47. शिक्षा मित्र, शिक्षाबन्धु, शिक्षाचार्य, बिजिटिंग प्रवक्ता, जल संस्थान में कार्यरत पी0टी0सी0, सहकारी समिति सचिव, गणक, अमीन, वन विभाग, लो0नि0वि0 सहित विभिन्न निगमों में दैनिक संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

48. जनपद उत्तरकाशी के मूल निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनावाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने,
49. प्रदेश के बनों में बढ़ती अग्नि की घटना को रोकने,
50. विभिन्न विभागों में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने,
51. मुलाणा (नौगांव) उत्तरकाशी में यमुना नदी पर झूला पुल का निर्माण करने,
52. भूस्खलन क्षेत्र जागत (उत्तरकाशी) का स्थायी समाधान करने,
53. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जोगत, श्रीकोट, कोटधार (दशमी), धारी-कलोगी में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने,
54. अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने,
55. चिन्वालीसौड़ (उत्तरकाशी) में एल0पी0जी0 डिपो एवं बिक्री केन्द्र खोलने,
56. जनपद उत्तरकाशी की 1. चिन्वालीसौड़-बादसी 2. बधाणगांव-गली 3. सरोट-झांसी (चापड़ा) टिपरी 4. दिनारीखोल-गडोली 5. बनचौरा-बणगांव 6. बनचौरा-कोटधार 7. कल्याणी-पाटारा-स्यालना 8. कल्याणी-जुणगा 9. चामी-सिंगुणी 10. नौगांव-स्यूरी 11. बड़कोट-भाटिया 12. सारीगाड-गातु 13. स्यानाचट्टी-जानकीचट्टी सड़कों का डामरीकरण किये जाने,
57. जनपद उत्तरकाशी के, 1. चामी-नौगांव गोडर 2. गातु-मोलगांव नौगांव गोडर 3. सिमलसारी-गैर 4. धारी-(कलोगी) से बज्लाड़ी नौगांव 5. स्यालना-कुथनोर 6. स्यालना-सरतली 7. छैजूला-कवाट 8. बनाड़ी 9. दीवारीखोल-गडत 10. कथौंगी-चिलोट 11. चिन्वालीसौड़-कोटबागी 12. कामदा-मुरोगी-कोटधार, मोटर मार्गों का निर्माण किये जाने,
58. देहरादून से जोगत, विकासनगर से बनचौरा-देहरादून से बडगांव तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को संचालित करने,
59. जोगत (उत्तरकाशी) भूस्खलन से प्रभावित जोगत तल्ला, खालसी-गाड वाल गाड, मणी ग्राम पंचायत के काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि व भवनों के प्रतिकर भुगतान करने,
60. जड़ी-बूटी विभाग को अलग विभाग बनाने,
61. जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सिंचाई विभाग कर्मियों को निगम कर्मियों की भांति समान रूप से विभागीय विद्युत टैरिफ की बहाली करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

62. जनपद उत्तरकाशी स्थित प्रसिद्ध तीर्थ व पर्यटक स्थल स्वप्नौलझड़ा, जगदेई, देवराणा, बनासव सेम-मुखेम, मौर्याणा डाडा (टिहरी गढ़वाल) को पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित करने,
63. धरासू गाड़ से बडेती-नागडी के लिए सिंचाई योजना का निर्माण करने,
64. जनपद उत्तरकाशी के 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ 3. अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनचौरा व ब्रह्मखाल 4. राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय दिवली कफनौल, राना के उच्चीकरण करने,
65. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यमुनोत्री के लिए जानकी चट्टी से रज्जु मार्ग बनाने।”

16. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थायी राजधानी बनाने,
2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी-कर्मचारी-शिक्षकों की पूर्ण वापसी करने,
3. पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इन्द्रमणी बडोनी की मूर्ति प्रत्येक जनपद मुख्यालय में स्थापित करने,
4. उत्तरांचल राज्य में वित्त-विहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों व हाईस्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों व कम्प्यूटरों का वितरण करने,
5. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधाएँ देने,
6. खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दमनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने,
7. सम्यक रोजगार नीति बनाकर 5 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दूर करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

8. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु बिजिटिंग फैकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने,
9. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल की झीलों के संरक्षण के कार्य हेतु एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने तथा माल रोड नैनीताल की सुरक्षा हेतु वाडियां संस्थान देहरादून की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही किये जाने,
10. नगर पालिका परिषद् नैनीताल एवं भवाली की विशेष परिस्थितियों के कारण आर्थिक स्थिति ठीक करने हेतु आर्थिक अनुदान देने,
11. भीमताल एवं भवाली में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को नैनीताल शहर की भांति बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत आवासीय भत्ता देने,
12. भीमताल व कालाढूंगी नगर पंचायतों में आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने,
13. भवाली व कालाढूंगी में सिंवर लाईन बिछाए जाने,
14. एच0एम0टी0 घडी कारखाना रानीबाग (नैनीताल) एवं भवाली स्थित वांच एसेम्बलिंग यूनिट को सुचारु रूप से चलाने हेतु विशेष अनुदान देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करने,
15. केन्द्रीय करों से राज्य को विशेष अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किये जाने,
16. नैनी झील की सुरक्षा हेतु खुरपाताल बलदीयाखान बाई पास तथा भवाली व भीमताल जनपद नैनीताल में बाई पास बनाये जाने,
17. प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने,
18. नैनीताल स्थित "गनीहाउस" जिम कारबेट संग्राहालय बनाये जाने,
19. जनपद नैनीताल स्थित राज्य रक्षालय संस्थान पट्टवा बाडागर को सुचारु रूप से चलाने,
20. क्षय रोगाश्रम भवाली (नैनीताल) एवं गेटिया की स्थित का सुधार करने,
21. नैनीताल स्थित गोविन्द बल्लभ चिकित्सालय को आधुनिक सुविधाओं से सुस्सजित करने,

**कं.सं. प्रस्तावक का नाम**

**संशोधन का रूप**

22. नैनीताल स्थित बी०डी० पाण्डे चिकित्सालय में चिकित्सकों हेतु आवास निर्माण किये जाने,
23. भवाली व भीमताल (नैनीताल) स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेजों के भवन निर्माण किये जाने,
24. कालाढूंगी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
25. नैनीताल में आधुनिक सुविधाओं से सुस्सजित प्रेक्षागृह निर्माण किये जाने,
26. कुमांऊ विश्वविद्यालय डी०एस०बी० परिसर में रोजगार परक विषय खोलने,
27. जमुरानी बांध नैनीताल (नैनीताल) का निर्माण किये जाने,
28. कालाढूंगी (नैनीताल) में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमान्तर्गत पूर्ण किये जाने,
29. भीमताल (नैनीताल) शहरी पेयजल योजना को निर्धारित समय अन्तर्गत पूर्ण किये जाने,
30. राजकीय हाईस्कूल नौकुचियाताल, अमिया व दोगडा जनपद नैनीताल को इण्टर स्तर तक उच्चीकरण करने,
31. बलिया नाला सुदृढीकरण योजना को बीरभट्टी व प्रभावी ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तारीकरण करने,
32. नैनीताल नगर की सुरक्षा हेतु बनाये गये नालों (ड्रेनेज) की लगातार सफाई करने,
33. ताकुला (जनपद नैनीताल) को हिमालयी संस्कृति पर आधारित संग्राहलय बनाये जाने,

17. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थायी राजधानी बनाने,
2. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने,
3. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधाएँ देने,
4. खटीमा, मसूरी, मुजफ्फर नगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दमनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

5. पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इन्द्रमणी बडोनी की मूर्ति स्थापना किये जाने,
6. सम्यक रोजगार नीति बनाकर पांच वर्ष के अन्तर्गत बेरोजगारी दूर करने,
7. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु विजिटिंग फेकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति दिये जाने,
8. कुमांऊ इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा) को आई0आई0टी0 का दर्जा दिये जाने हेतु प्रयास किये जाने,
9. वित्तविहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों, हाईस्कूलों, जूनियर हाईस्कूलों को वित्तीय मान्यता प्रदान करने व उनके प्रांतीयकरण किये जाने,
10. चौखुटिया अल्मोड़ा में महिला पालिटैक्निक खोले जाने,
11. दुनागिरी, मानिला, द्वाराहाट, चौखुटिया, कालिका जनपद अल्मोड़ा को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने,
12. रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया मोटर मार्ग (अल्मोड़ा) को हाटमिक्स किये जाने,
13. चौखुटिया-मांसी मोटर मार्ग (अल्मोड़ा) के सुदृढीकरण किये जाने,
14. विन्ता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में आई0टी0आई0 खोले जाने,
15. दुनागिरी मन्दिर द्वाराहाट परिक्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रज्जु मार्ग से जोड़े जाने।”

18. श्री अजय भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
2. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाये जाने,
3. उत्तरांचल के विजिटिंग फेकल्टी, शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्रों को नियमित किये जाने,
4. लो0नि0वि0 एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

5. उत्तरांचल की प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को मानदेय दिये जाने,
6. उत्तरांचल की गम्भीर पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु लिफ्ट पम्पिंग योजनाओं की स्वीकृति किये जाने,
7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50-50 हैण्ड पम्प (रिंग बोरिंग) दिये जाने,
8. प्राथमिक स्कूलों में दिन के भोजन में हो रही असुविधा को दूरस्त किये जाने,
9. रानीखेत चौबटिया रोप-वे बनाये जाने,
10. ताड़ीखेत में उत्तरांचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने,
11. रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक अतिरिक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेज एवं अन्य राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने,
12. रानीखेत-पंतकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने,
13. द्वारसौ-काकडीघाट, द्वारसौ-सितलाखेत, सौनी - तितालीखेत -चमइखान, सौनी-देवलीखेत-इयोडाखाल, चौबटिया - कुनेलाखेत - बमस्यू एवं ताड़ीखेत-पीपली-मजूदखान सड़कों के डामरीकरण किये जाने,
14. कालिका-दलमोटी सड़क लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित किये जाने,
15. रानीखेत-एरोड़-खनिया, मंगचौड़ा-मकड़ू, पीपलघना-गगास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
16. द्वारसौ-काकडीघाट सड़क का कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
17. काकडीघाट-सितलाखेत अपूर्ण सड़क के शेष भाग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
18. रानीखेत-वलना-गगास सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
19. खिरखत-कारघुली सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
20. ज्यूड़ा ग्वेल के सिलोर महादेव तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
21. ताड़ीखेत-पीपली-मजूदखान सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

22. गन्यादयौली-ठाना-विशालकोट सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
23. ड्योडाखाल से पस्तोड़ा वधिया होते हुए सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
24. खैरना से ज्याड़ी-पोखरी-बोहरागांव होते हुए स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
25. भुजान-चापड़ से विल्लेख तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
26. उपराड़ी से शिलंगी तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
27. सिरोली बैण्ड से बेड़गांव तक स्वीकृत 1 कि०मी० सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं शेष मार्ग को शीतलाखेत तक मिलाये जाने,
28. मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत चौबटिया-नागपानी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने,
29. ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना, मटेला-मनिहार सड़क का निर्माण करने,
30. ताड़ीखेत-पथुली-मण्डलकोट का निर्माण करने,
31. नैनी-जाना मोटर मार्ग के शेष भाग को स्वीकृत करने,
32. मजखाली-दिगोटी, दुगौड़ा मोटर मार्ग को स्वीकृत किये जाने,
33. रानीखेत तहसील के नैनी नामक स्थान पर अस्वीकृत 132 के०वी० विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किये जाने,
34. गगास-चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना को क्षेत्र की गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए तुरन्त स्वीकृति प्रदान किये जाने,
35. क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए कोशी-शेर पम्पिंग पेयजल योजना को तुरन्त स्वीकृति प्रदान किये जाने,
36. क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए कोशी थापल-रीची-बिल्लेख पम्पिंग पेयजल योजना को तुरन्त स्वीकृति प्रदान किये जाने,
37. मजखाली, जालली मछोड़ एवं मासी को वि०ख० बनाये जाने,

38. गगास-रानीखेत-ताड़ीखेत पम्पिंग पेयजल योजना के पुर्नगठन किये जाने,
39. रानीखेत तहसील के रा0हाई0 द्वारसो, रा0हाई0 जैना एवं रा0हाई0 चौकुनी को इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किये जाने,
40. रानीखेत तहसील के जू0हाई0 भैसोली, जू0हाई0 देहोली, जू0हाई0 पनघट, जू0हाई0 बजीना एवं जू0हाई0 शालीखेत का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण किये जाने,
41. वि0ख0 ताड़ीखेत के उरोली, दहोली, नागपानी, बिल्लेख एवं चौगांव में ए0एन0एस0 सैन्टर खोले जाने,
42. तहसील रानीखेत के डोल की धार खिरखेत एवं बगवान में 6 बैड का छोटा चिकित्सालय खोले जाने,
43. पूर्व में स्वीकृत ऐरी गधेरा-रुमा-बजीना पेयजल योजना का अविलम्ब निर्माण किये जाने,
44. अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत एवं द्वाराहाट विकास खण्ड के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में पेयजल योजनाओं को धन दिये जाने,
45. विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के राजकीय हाईस्कूलों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के पद सृजित भरे जाने,
46. रानीखेत तहसील के अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के पद भरे जाने,
47. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में पूर्व में स्वीकृत ब्लड बैंक की स्थापना एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने,
48. चमड़खान से सैलापानी तक स्वीकृत सड़क का शीघ्र निर्माण किये जाने,
49. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर तैनाती करने,
50. जल निगम रानीखेत में, अवर-अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती किये जाने,
51. लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड रानीखेत रिक्त पड़े अमीन, अवर-अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं के पदों पर शीघ्र तैनाती करने,
52. चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्च शाखा से चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जिले एवं मण्डल से वाहर स्थानान्तरण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

53. उत्तरांचल को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने,
54. अभ्याड़ी-कुडकोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करवाये जाने,
55. पन्थाली से श्रीराम मन्दिर तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य किये जाने।”